रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2017/फाल्गुन 16, 1938
No. 692] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2017/PHALGUNA 16, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

का.आ. 769(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1976 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सं. का.आ. 814(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"1.	श्री एस.पी.एस. परिहार, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष";

(ii) क्रम संख्या 3 से क्रम संख्या 8 तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"3.	अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (तापीय), विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री यू.पी. सिंह, अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री पी.के. दाश, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली या उसका नामनिर्दिष्ट	सदस्य

6.	डा. मनोरंजन होता, सलाहकार, सी.पी. प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री संजीव सरन, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मण, अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य";

(iii) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10.	श्री अरविंद अग्रवाल, अध्यक्ष गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य"।

[फा. सं. 15014/21/2009-सीपीडब्लयू]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का.आ. 814(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 1250(अ) तारीख 11 मई, 2015 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित की गई ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

S.O. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (6) of section 5 of the Water (Prevention and Control of the Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section (3), Sub-section (ii) vide number S.O. 814(E), dated the 23rd March, 2015, namely:-

In the said notification,-

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

"1	Shri S.P.S. Parihar, Chairman, Central Pollution Control Board	Chairman";

(ii) for serial number 3 to serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

"3	Shri Aniruddha Kumar, Joint Secretary (Thermal), Ministry of Power, New Delhi	Member
4	Shri U.P. Singh, Additional Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, New Delhi	Member
5	Shri P.K. Dash, Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Environment Forest and Climate Change, New Delhi or his nominee.	Member
6	Dr. Manoranjan Hota, Adviser, CP Division, Ministry of Environment Forest and Climate Change, New Delhi	Member
7	Shri Sanjeev Saran, Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board	Member
8	Shri Sri Lakshman, Chairman, Karnataka State Pollution Control Board	Member";

(iii) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:

"10	Shri Arvind Agarwal, Chairman, Gujarat Pollution Control Board	Member".

[F. No. 15014/21/2009-CPW]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide notification number S.O. 814(E), dated the 23rd March, 2015 and subsequently amended by notification number S.O. 1250(E) dated the 11th May, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.11 14:09:27 +05'30'